



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-11072026-274400
CG-JH-E-11072026-274400

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 545]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनबाद, 7 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 603(अ).—उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 111 के उप-नियम 2 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्ज्वल ता, खान मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जिसे खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित किया गया है, एतद्वारा निर्दिष्ट करता हूँ कि आवधिक चिकित्सा परीक्षा की सूचना का प्रपत्र प्रबंधक द्वारा जांच किए जाने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा।

दायरा: यह फॉर्म उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 111 के उप-नियम 2 के अनुसार जांच किए जाने वाले व्यक्ति को प्रबंधक द्वारा दी जाने वाली आवधिक चिकित्सा परीक्षा की सूचना निर्दिष्ट करता है।

प्रयोज्यता: नोटिस का यह रूप एक खान प्रबंधक द्वारा जांच किए जाने वाले व्यक्ति को जारी किया जाएगा और जारी किया गया ऐसा नोटिस व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 111 के उप-नियम 2 के अनुसार प्रबंधक द्वारा परीक्षा प्राधिकरण को भेजा जाएगा और सभी खानों पर लागू होगा।

आवधिक चिकित्सा परीक्षा की सूचना

सं .

दिनांक.....

श्री/श्रीमती/ सुश्री..... रोजगार की प्रकृति..... क्रम संख्या फॉर्म रजिस्टर,
 के पुत्र/पुत्री या/पत्नी को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य
 और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम 2026 के नियम 111 के उप-नियम 2 के तहत आवधिक चिकित्सा परीक्षा के
 लिए स्वयं स्वयं उपस्थित होना होगा..... (जांच प्राधिकारी का नाम दीजिए) (स्थान का सटीक
 विवरण दें) (तिथि दें) (समय दें)।

श्री/श्रीमती/ सुश्री..... ध्यान दें कि यदि वह उचित कारण के बिना, उपरोक्त चिकित्सा परीक्षा के
 लिए स्वयं उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो वे (तिथि) से रोजगार जारी रखने के लिए पात्र
 नहीं होंगे।

दिनांक और मुहर के साथ प्रबंधक के हस्ताक्षर और नाम
 खान का नाम-

[फा. सं. डीजीएमएस/02-2/2026/सीएमसी (मुख्यालय)]

उज्ज्वल ता, खान मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General Of Mines Safety)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 7th July, 2026

G.S.R. 603(E).—In exercise of the powers conferred on me under sub-Rule 2 of the Rule 111 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the form of the notice of periodical medical examination shall be given by a manager to the person to be examined.

Scope: This form specify the notice of periodical medical examination to be given by a manager to the person to be examined as per sub-rule 2 of the Rule 111 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Applicability: This form of the notice of periodical medical examination shall be issued by a manager to the person to be examined and such notice issued shall be sent to examination authority as per sub-rule 2 of the Rule 111 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 and applicable to the all mines.

Notice of Periodical Medical Examination

No.....

Date.....

Sri/Srimati/Miss..... Nature of employment..... serial number - of Form -----Register,
 son/daughter or/wife of is hereby notified that he/she should present himself/herself for a Periodical
 Medical Examination, under sub-rule (2) of rule 111 of The Occupational Safety, Health and Working Conditions
 (Central) Rules, 2026, before.....(give name of the examining authority) at(give exact description
 of place) on (give date) at (give time).

Shri/Shrimati/Miss..... may note that if he/she fails, without reasonable cause, to submit himself/herself for the medical examination aforesaid he/she shall not be eligible for continuance in employment to the mine from.....(date)

Signature & Name of Manager with date & Seal

Name of Mine

[F. No. DGMS/02-2/2026/CMC(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines